न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 32 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

दरियाकंवर पत्नी हेतुदान **बनाम** 1.महेन्द्रपाल पुत्र हेतुदान वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी (ब्रीफ हॉल्डर)प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से

निर्णय

दिनांकः–10.08.2023

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि ग्राम दूदाबेरी पटवार क्षेत्र दूदाबेरी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 23 रकबा 09. 05 बीघा, खसरा संख्या 118 / 12 रकबा 213.10 बीघा, खसरा संख्या 113 / 12 रकबा 134.06 बीघा, खसरा संख्या 27 रकबा 11.07 बीघा, खसरा संख्या 17 रकबा 224.04 बीघा, खसरा संख्या 42 रकबा 220 बीघा प्राप्त हुई जिस वजह से उतरदाता संख्या 01 से 03 का जन्म से हक उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त खसरों की भूमि केवल उतरदाता संख्या 04 हेतुदान की खातेदारी में दर्ज है जो पैतृक व सहदायिकी भूमि है जिसमें उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपना जन्म से हक बताकर वाद पेश किया है जिसमें उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपना जन्म से हक बताकर वाद पेश किया है जिसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया है। उतरदाता संख्या 04 हेतुदान और उतरदाता संख्या 01 से 03 आपस में पिता पुत्र है जब पिता पुत्र में वादग्रस्त भूमि में खातेदारी के अधिकारों की घोषणा व बंटवाड़ा करने का वाद पुत्रों द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो उसके साथ अपीलांटस जो हेतुदान की पत्नी है तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 की माता है जिसका भी उपरोक्त पिता पुत्र के साथ अलग से हक व हिस्सा तय किया जाना आवश्यक है ऐसा सिद्धांत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिर्निधारित किया गया है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मूल वाद में वर्णित आराजी का अपीलांट रेकर्डेड खातेदार नहीं था इस कारण आवश्यक पक्षकार नहीं होने से अपीलांट को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलांट को उक्त वाद की जानकारी प्रारम्भ से थी उसके बावजूद भी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही नहीं की इस कारण अपीलांट को हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट को हस्तगत वाद की जानकारी कैसे हुई स्पष्ट नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को हस्तगत वाद की जानकारी प्रारम्भ से थी। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी के खातेदार हेतुदान की पत्नी है जिसका अपीलाधीन आराजी में कोई हक हिस्सा हेतुदान के जीवन काल में नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में बाद विस्तृत विवेचन निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी की खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, तथा वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद में अपीलांटगण को पक्षकार नहीं है। अपीलांटस/प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं है। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी के खातेदार हेतुदान की पत्नी है इसलिए हेतुदान के जीवनकाल में पत्नी का अपीलाधीन आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी की हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरती है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है तथा अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर